lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2015

uoEcj&2015

f'k{kk foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(शिक्षा)12/2012	श्री मन्नान मल्लिक, विधायक सह अध्यक्ष तथा श्री जार्ज कुमार अनुमंडल पदाधिकरी सह सचिव भागा कॉलेज धनबाद पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबंध में लक्षमण प्रसाद सिंह, धनबाद का परिवाद ।	23.11.2015	बिनोवा भावे विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं पाये गाया है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

iafyl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(पुलिस)10/2013	उपायुक्त देवघर के आदेश बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर व सारठ थाना द्वारा पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री नवल किशोर सिंह, सारठ का परिवाद ।	09.11.2015	परिवाद से संबंधित एक केस स. 37/2013 माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड मे लंबित है। अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/ लोक(स्वा.)10/09	श्री अरबिन्द प्रसाद सेवानिवृत चिकित्सा सामाज	23.11.2015	जिला कुष्ठ निवारण अधिकारी जमशेदपुर से प्राप्त

		सेवक जिला कुष्ठ कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सेवान्त लाभ की राशियों का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।		प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान प्रापत करा दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(वन)06/12	श्री प्रेमनाथ मिश्रा सेवानिवृत वनपाल को देय वेतनमान से कम वेतनमान में परिलब्धि एवं अन्य सेवान्त पावनाओं के भुगतान के संबंध में ।	09.11.2015	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड राँचीसे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैध देय पावनाओं का भुगतान प्राप्त होगया है। उक्त के आलेक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)04/2014	लंबित दावे के भुगतान के संबंध में श्री गोबिन्द चंद महतो सेवा निवृत सहायक , गम्हरिया,सरायकेला खरसांवा का परिवाद ।	09.11.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी लंबित दावे का भुगतान प्राप्त हो गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

df"k foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(कृषि)11/2013	ACP स्वीकृति के बाद बकाया अंतर राशि के भुगतान के संबंध में चन्द्रेश्वर नरायण सिंह रक्सौल, पूर्वी चम्पारण का परिवाद ।	19112015	कृषि निदेशक झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है। जहाँ तक पेंशन का प्रश्न है परिवादी द्वारा आवेदन सं. 4 जमा नहीं करने के कारण बिलंभ हो रहा है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

2.	02/लोक(कृषि)10/2013	प्रखण्ड कार्यालय पिरटांड में जनसेवक के पद पर कार्यरत पति को मृत्युपरान्त पावना एवं पेंशन का निर्धारण कम किए जाने के संबंध में कान्ती देवी, गिरिडीह का परिवाद ।	19.11.2015	परिवादीनी पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में वाद दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा समूचित आदेश परित किया जा चूका है तथा उसी के आलोक में उनके स्व.पति के सभी देया पावना का भुगतान किया गया है। उक्त के अलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

Hkou fuek.k foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(भवन)02/2012	भवन निर्माण विभाग चतरा प्रमंडल में करोड़ो रूपये के गबन के संबंध में श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंहा, आर्यापूरी रातू रोड राँची का परिवाद ।	23.11.2015	प्राप्त कार्यावाही प्रतवेदन के अनुसार चतरा थाना काण्ड सं0 167/09 दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतएव वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

mRikn foHkkx

dze l0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(उत्पाद)01/2014	सेवान्त लाभ की राशि यथाशीघ्र भुगतान करने का आदेश निर्गत करने के संबंध में श्री शंभू शरण सिन्हा, हजारीबाग का परिवाद ।	23.11.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान प्राप्त करा दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं. 431/2015	मकान एवं जमीन पर हथियार के बल पर कब्जा करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रसाद देवीपुर, देवघर का शिकायत ।	23.11.2015	शिकायत आम आदमी के विरूद्ध किया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 266/2015	गृहरक्षक (5560) नवीजान साहेबगंज का दिनांक 14.05.2015 को Bond समाप्त होने के बाद भी गलत तरिके से भत्ता के निकासी के संबंध में श्री रमेश चौरसिया का शिकायत ।	20.11.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 411/2015	थाना प्रभारी लोअर बाजार राँची द्वारा परिवादी श्री राजकुमार के मकान में जबरन ताला लगा कर मोटी रकम की मांग करने के संबंध में ।	06.11.2015	परिवादी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से केस वापसी के याजना को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए इसे खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 224/2014	गैर वन भूमि पर कराये गये वृक्षारोपन में किये गये गबन की जांच के संबंध में श्री सुशील कुमार मिश्रा, पुजारी गौरशंकर आश्रम पांकी पलामू का शिकयकत ।	20.11.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 130/2015	ड ।ब्ब का लाभ नहीं मिलने के संबंध में मनोज कुमार वर्मा, चौपारण का शिकायत ।	19.11.2015	वाद से संबंधित केस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं0 17/2014	अवैद्य भवन निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री असीत सहाय, हिरापुर धनबाद का परिवाद।	23.11.2015	शिकायतकर्त्ता के द्वारा शिकायत वापसी के याजना को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया गया।
7.	शिकायत सं0 419/2015	ABU कंस्ट्रक्शन TTPS ललपनिया, बोकारो के सभी कर्मचारियों के EPF से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में मो0 शमिउद्दिन बोकारो का	23.11.2015	ABU कंस्ट्रक्शन TTPS ललपनिया, बोकारो एक प्राइवेट कंपनी है। अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है तथा माननीय लोकायुक्त

		शिकायत ।		द्वारा खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं0 433／15	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री विनोद केवट ललपनिया का शिकायत ।	23.11.2015	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में ही परिवादी को परिवाद से संबंधित अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।